



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/POST/6/2026-ADMN

कार्यालय आदेश सं. : 20/2026

दिनांक: ई-हस्ताक्षरित

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा फा.सं. A.22012/01/2023 के अंतर्गत जारी कार्यालय आदेश संख्या 90/2026 दिनांक 03.07.2026 के अनुसरण में, **सुश्री सुप्रिया चंद्रन**, संयुक्त आयुक्त (Emp. ID 2016/8476) को अस्थायी आधार पर, केवल उनके वेतन और अन्य भत्तों के भुगतान एवं अवकाश स्वीकृति के उद्देश्य से, प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन पर बोर्ड में उनके कार्यग्रहण करने की तिथि 29.05.2026 से उनकी नियमित पदस्थापना या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक सीजीएसटी आयुक्तालय, जोधपुर से सम्बद्ध किया जाता है।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(शर्मा सूर्यप्रकाश गुलाबचंद)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. आयुक्त, सीजीएसटी जोधपुर ।
2. अपर महानिदेशक (एचआरएम-II), मानव संसाधन विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली।
3. उप सचिव (Ad.II), केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. सुश्री सुप्रिया चंद्रन, संयुक्त आयुक्त ।
6. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

नव केंद्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर – 302005 (राजस्थान)

फोन : 0141-2385155; फैक्स : 0141-2385130, ईमेल : ccu-cexjpr@nic.in,

वेबसाइट: www.cgstjaipur.gov.in, ट्वीटर : @CGSTJAIPURZONE